राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

बीमा भवन, बनीपार्क, जयपुर, फोन 0141–2200786; website:www.sipf.rajasthan.gov.in

क्रमांकः 135/एनपीएस/जनरल/2011–12/7504 दिनांकः 22.02.2012

कार्यालय निर्देश

विषयः– नवीन पेंशन योजना की प्रक्रिया के संबंध में

जिला कार्यालयों को नवीन पेन्शन योजना की प्रक्रिया के संबंध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश दिये जाते रहे हैं। विभाग द्वारा दिनांक 31 मई, 2011 के पश्चात नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत जुड़ने वाले नए अंशदाताओं को पी–पेन जारी किया जाना बंद कर दिया गया था। कर्मचारियों की एम्पलाई आईडी जो वेतन पारित करने हेतु अनिवार्य है, के आधार पर ही सीआरए द्वारा प्रान आवंटित किये गये हैं। इस प्रक्रिया में यह पाया गया है कि कुछ पी–पेन सही अंकित नहीं होने के कारण गलत कर्मचारियों को उसके आधार पर प्रान जारी हो गये हैं तथा सही कर्मचारियों को प्रान जारी करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सीआरए द्वारा ऐसे कर्मचारियों की सूची जिला कार्यालयों को भिजवाई गई है अतः समस्त जिलाधिकारियों से यह अपेक्षित है कि सूची में आवश्यक संशोधन किया जाए।

राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक प–4(12) वित्त/राजस्व/04/पार्ट ॥ दिनांक 2.11.2011 के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद के अंशदाताओं की कटौतियां चालान के बजाय चैक के माध्यम से ही प्राप्त किये जाने के आदेश दिये गये थे। जिलाधिकारियों से इस प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। इसके अनुसरण में विभागीय पत्र क्रमांक 4462–4500 दिनांक 29.11.2011 के साथ पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों के अंशदान के विवरण की पंजिका का प्रारूप दिया गया है। इस पंजिका का संधारण इसी प्रारूप में किया जायेगा तथा वार्षिक खाताबन्दी में प्राप्तियों में कवरिंग लिस्ट से प्राप्त राशि के साथ इस पंजिका की राशि को भी प्राप्ति में सम्मिलित किया जायेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि समस्त जिला कार्यालय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (GF&AR) के प्रावधान के अनुसार प्राप्त/प्रेषित चैकस् का इन्द्राज रोकड़ बही (Cash Book) में आवश्यक रूप से कर रहे होंगे यदि अब तक संधारण प्रारम्भ नहीं किया गया है तो प्रारम्भ (दिनांक 01.11.2011) से ही इसका संधारण

सुनिश्चित किया जाये। इस केश बुक में राज्य कर्मचारियों के अंशदान का चैक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के अंशदान का चैक, पंचायत समिति/जिला परिषद से प्राप्त अंशदान का चैक एवं ऐसी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के अंशदान का चैक, जो संस्था सीआरए के साथ रजिस्टर्ड़ नहीं है, का इन्द्राज नियमित रूप से किया जाये।

दिनांक 8.9.2011 के परिपत्र में मासिक प्रगति रिपोर्ट के 3 प्रर्फोमा संलग्न किये गये थे। अक्टूबर देय नवम्बर 2011 से नियमित कटौतियों को अपलोड करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है लेकिन इसकी प्रगति के संबंध में यह पाया गया है कि कर्मचारियों की उसी माह की कटौतियों को अपलोड करने के साथ पूर्व माहों की कटौतियों को भी अपलोड कर दिया गया है दूसरी ओर चालू माह का समस्त कर्मचारियों की राशि को अपलोड अभी तक नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर स्थिति है। प्रारम्भ में कुछ कठिनाईयों के कारण SCF मिलान होने पर ही TO से चैक प्राप्त करने हेतु निर्देश आपकी सुविधा के लिये दिये गये थे, लेकिन इसके बावजूद उन सभी कमचारियों की राशि को अभी तक अपलोड नहीं किया गया है जिन्हें अक्टूबर,2011 से पूर्व ही प्रान नम्बर आवंटित हो चुके थे। **अतः समस्त अधिकारियों विशेषतया संभागीय संयुक्त निदेशकों से अपेक्षित है कि माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2011 एवं जनवरी, 2012 की समस्त कटौतियों को प्रथम प्राथमिकता देते हुये सीआरए सिस्टम में अपलोड करें। इसकी प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र 4 में मासिक रिपोर्ट के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।** जो राशि अपलोड की जा रही है उसकी कंट्रोलशीट का प्रिन्ट लेकर अलग से पत्रावली संधारित की जाये तथा इसकी एक पंजिका भी संधारित की जानी चाहिये।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों जिनकी राशि संबंधित संस्था द्वारा अपलोड नहीं की जा रही है उनका चैक जिला कार्यालय में प्राप्त होगा, उनकी प्राप्त राशि और अपलोडेशन से संबंधित एक पृथक पंजिका जिला परिषदों की पंजिका के समान रखी जायेगी। इस पंजिका का शीर्षक "प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों से प्राप्त राशि की पंजिका " होगा। इस प्रकार प्राप्त राशि को भी वार्षिक खाताबन्दी में प्राप्तियों के अन्तर्गत लिया जायेगा।

जिला कार्यालयों द्वारा अंशदाताओं के एससीएफ अपलोड करने के पश्चात् उक्त राशि "Matched and booked" नहीं होने के कारण सीआरए (एनएसडीएल) को यूटीआर सूचित नहीं करना रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी जिला

कार्यालय शीघ्र ही यूटीआर/ट्रांजेक्शन आई.डी. सीआरए को सूचित करें। सभी जिला कर्यालयो द्वारा नियमित रूप से एससीएफ क्रियेशन कर ट्रस्टी बैंक को राशि हस्तांतरण की कार्यवाही प्राथमिकता से की जाये तथा इस राशि के "Matched and Booked" होने की स्थिति को सुनिश्चित किया जाये, ताकि अंशदाताओं को ब्याज का नुकसान नहीं हो।

राज्य कर्मचारियों के राजकीय अंशदान की राशि के संबंध में वित्त विभाग के पत्र प.4 (12) वित्त/राजस्व/04/पार्ट II लूज दिनांक 15.02.2012 एवं विभागीय निर्देश प.135/एनपीएस/जनरल/2011/6508– 7408 दिनांक 17.02.2012 के पैरा संख्या–2 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार **माह मार्च देय अप्रेल, 2012 से राजकीय अंशदान की राशि के लिए पृथक बिल बनाने के स्थान पर कर्मचारियों के वेतन बिल से प्राप्त अंशदान के आधार पर राजकीय अंशदान की राशि एकमुश्त जिला कार्यालय स्तर पर आहरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।** मार्च 2012 के वेतन बिल के साथ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत केवल कर्मचारी की अंशदान की राशि का बिल ही कोष कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। राजकीय अंशदान हेतु जिलाधिकारी द्वारा समतुल्य राशि का बिल बनाकर कोष कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु आहरण पृथक खोले गये बजट मद 2071–01–117–(01)–89 से किया जायेगा। पूर्ण बजट मद उपरोक्त कार्यालय निर्देश में वर्णित है। राजकीय अंशदान का आहरण केवल राज्य कर्मचारियों के लिये ही किया जाना है, पंचायत समिति/जिला परिषद/प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी के लिए राजकीय अंशदान का आहरण उपरोक्त मद से नहीं किया जाना है। इसके लिए उपरोक्त निर्देश दिनांक 17.02.2012 की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के राजकीय अंशदान की राशि के संबंध में निर्देश दिये जाते हें कि विभागीय परिपत्र क्रमांक 5700 दिनांक 01.02.2012 द्वारा मार्च देय अप्रेल 2012 के वेतन के साथ राजकीय अंशदान के बिल पृथक से आहरित नहीं किये जायेंगें। राजकीय अंशदान की राशि उप निदेशक, एनपीएस मुख्यालय (डीटीओ,एआईएस) द्वारा एक मुश्त अधिकार–पत्र/बिल के माध्यम से बजट हैड 2071 से आहरित किया जायेगा। अतः इस बाबत् समस्त जिलाधिकारी मार्च देय अप्रेल 2012 के बिल पारित के समय कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार निर्देश देंगें।

एनपीएस एआईएस के कटौती—पत्रों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त कटौती—पत्र जिला स्तर से मुख्यालय प्रतिमाह क्लियरिंग हाउस में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कोषाधिकारी से प्राप्त एआईएस अंशदान राशि का चैक समय पर मुख्यालय के एनपीएस खाते मे जमा करवाया जाये।

संलग्न—प्रपत्र—4

22.2.12

अतिरिक्त निदेशक (पीएफ/एनपीएस)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान—जयपुर

क्रमांकः 135/एनपीएस/जनरल/2011—12/7505—7595 दिनांकः 22.02.2012

प्रतिलिपि आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतुः—

1— विशिष्ट शासन सचिव,वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, राज0जयपुर।
2— निदेशक, कोष एवं लेखा को भेजकर निवेदन है कि वे अपने स्तर पर समस्त कोषाधिकारियों को समुचित निर्देश प्रसारित करायें ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया सुगम रहे।
3— समस्त संयुक्त निदेशक, संभागीय कार्यालय————
4— समस्त कोषाधिकारी
5— समस्त जिलाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,,————
6— एनालिस्ट कम प्रोग्रामर , मुख्यालय जयपुर

22.2.12

अतिरिक्त निदेशक (पीएफ/एनपीएस)

प्रपत्र–4

SCF अपलोडेशन विवरण–पत्र

माह————————　　　　　　　　————————संभाग

क.सं.	जिले का नाम	IRA Complaint कर्मचारियों की संख्या	माह जिसकी राशि अपलोड की गई	कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल राशि	Match & Book राशि	Match & Book राशि का दिनांक	कर्मचारियों की संख्या जिसका uploadation नहीं हुआ	non-uploaded राशि	राशि अपलोड नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ह0

संयुक्त निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रा0नि0विभाग,

————————————